ISSN No. 2231-0045 VOL.II* ISSUE-I*AUGUST-2013
Periodic Research

शिक्षित महिलाओं के बदलते स्वरूप एवं आर्थिक स्वतंत्रता

रोशनी भारिल्य
शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र)
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर, (म.प्र.)
roshnibharilya983@gmail.com

नीरज कुमार गौतम
अतिथिविद्वान अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बीना, जिला सागर (म.प्र.)
neeraj-gautam76@yahoo.co.in

अनादिकाल से वर्तमान तक देश में परिस्थिति के अनुसार समाज में समय–समय पर स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तथा उनके उत्थान के लिये मांग उठती रही है। आर्यों के भारत में आने के प्रारंभिक दिनों के पूर्व वैदिक काल में स्त्री तथा पुरूषों को समकक्ष माना जाता रहा है और यह स्थिति लगभग उत्तर वैदिक काल तक चलती रही। इस दौरान स्त्रियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक कार्यों में पुरूषों के साथ बराबरी की भागीदारी करती रही हैं। हिन्दू शास्त्रों में भी उन्ह शक्ति का प्रतीक दुर्गा, धन का प्रतीक लक्ष्मी और विद्या का प्रतीक सरस्वती और अन्न की प्रतीक अन्नपूर्णा माना जाता रहा है। स्मृति काल में ब्राह्मण धर्म में कट्टरता के कारण पुरूषों ने अधिकारों की प्राप्ति की लालसा में स्त्रियों के अधिकारों का दायरा सीमित कर दिया और स्त्रियों को मात्र पुरूषों का आदेश मानने वाली अनुचरणी बना दिया गया। उनको पुरूषों के अधीन रहना पड़ता था। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता तथा घूमने पर प्रतिबंध था किन्तु खेतीहर शिल्पी तथा कामदारों की स्त्रियाँ पुरूषा के समान कृषि शिल्प, कला एवं मजदूरी आदि के क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती थीं किन्तु उनको भी पुरूष के अधीन ही काम करना पड़ता था। मध्यकाल तथा मुस्लिम काल में भी स्त्रियों की स्थिति और बिगड़ गई जिसमें सुधार के प्रयास आंग्ल शासन काल में किये गये। किन्तु ये सुधार तभी किये गये जबकि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। वास्तविक रूप में तो स्त्री उद्धार तभी किये गये जबकि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। वास्तविक रूप में तो स्त्री उद्धार की मांग उन्नीसवीं शताब्दी में ही की गई। भारतीय समाज एवं संविधान में नारी के सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की दशा में क्रांतिकारी चेतना आई।

आज सभी क्षेत्रों में स्वयं जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा सरकारी सेवाओं में उनकी संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्म निर्भरता ने स्त्रियों के विचारों को भी पर्याप्त स्वतंत्र कर दिया है।अनेक स्त्रियाँ संगठित रूप से अपने–अपने उद्यम चला रही हैं। अनेक स्त्रियाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी जुड़ी हैं जिससे महिलायं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान हमेशा से देतो रही हैं। कुछ समय पूर्व तक वे घर के कार्यों में हाथ बटाने के साथ–साथ कुटीर उद्योगों व खेती–बाड़ी व पैतृक व्यवसाय में अपना आर्थिक योगदान देती थीं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कृषि, पशु व्यवसाय, हैण्डलूम आदि में काफी अनुपात में भागीदारी निभा रही हैं तो वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं सुविधाओं व क्षेत्रों के विकास व बढोत्तरी के कारण अन्य क्षेत्रों जैसे – इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, प्रशासनिक, विधि, उपभोक्ता, उपदान तथा संगठित क्षत्रो में उद्योग में भी अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। अब वे पूर्णतया पुरूषों पर निर्भर नहीं है। महिलाओं के उद्धार में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों एवं महिला संगठनों द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर करने के लिये, उनकी रक्षा के लिये, उनके अधिकारों क लिये सराहनीय कार्य किये गये हैं जिसके फलस्वरूप महिलाएं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर कार्य करने लगी हैं। महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता के लिये सागर जिले की 60 प्रतिशत महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया है। जिसका विवरण शोध आलेख में प्रस्तुत किया गया है।''

मुख्य शब्द : क्रान्तिकारी चेतना, आर्थिक योजना, महिला सशक्तिकरण

प्रस्तावना

अनादिकाल से वर्तमान तक देश में परिस्थिति के अनुसार समाज में समय–समय पर स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन तथा उनके उत्थान के लिये मांग उठती रही है। आर्यों के भारत में आने के प्रारंभिक दिनों के पूर्व

वैदिक काल में स्त्री तथा पुरूषों को समकक्ष माना जाता रहा है और यह स्थिति लगभग उत्तर वैदिक काल तक चलती रही। इस दौरान स्त्रियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक कार्यों में पुरूषों के साथ बराबरी की भागीदारी करती रही हैं। हिन्दू शास्त्रों में भी उन्ह शक्ति का प्रतीक दुर्गा, धन का प्रतीक लक्ष्मी और विद्या का प्रतीक सरस्वती और अन्न की प्रतीक अन्नपूर्णा माना जाता रहा है। स्मृति काल में ब्राह्मण धर्म में कट्टरता के कारण पुरूषों ने अधिकारों की प्राप्ति की लालसा में स्त्रियों के अधिकारों का दायरा सीमित कर दिया और स्त्रियों को मात्र पुरूषों का आदेश मानने वाली अनुचरणी बना दिया गया। उनको पुरूषों के अधीन रहना पड़ता था। उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता तथा घूमने पर प्रतिबंध था किन्तु खेतीहर शिल्पी तथा कामदारों की स्त्रियाँ पुरूषा के समान कृषि शिल्प, कला एवं मजदूरी आदि के क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती थीं किन्तु उनको भी पुरूष के अधीन ही काम करना पड़ता था। मध्यकाल तथा मुस्लिम काल में भी स्त्रियों की स्थिति और बिगड़ गई जिसमें सुधार के प्रयास आंग्ल शासन काल में किये गये। किन्तु ये सुधार तभी किये गये जबकि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। वास्तविक रूप में तो स्त्री उद्धार तभी किये गये जबकि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों ने इसकी मांग की। वास्तविक रूप में तो स्त्री उद्धार की मांग उन्नीसवीं शताब्दी में ही की गई। भारतीय समाज एवं संविधान में नारी के सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की दशा में क्रांतिकारी चेतना आई। भारतीय संविधान में इस बात का अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जाति अथवा लिंग के आधार पर राज्य नागरिकों में काई भेद नहीं रखेगा। परिणामस्वरूप स्त्रियों ने उन समस्त राजनीतिज्ञ अधिकारों की प्राप्ति की, जो कि पहले पुरूषों को प्राप्त थे। अब वे केवल वोट ही नहीं डालती वरन् चुनाव में खड़ी होती हैं और विजय प्राप्त करती हैं। केन्द्र में लोक सभा और राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। आजकल प्रत्येक राजनीतिक दलों में स्त्रियाँ सक्रिय भाग लेती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में स्त्रियों की दशा में तीव्रता से परिवर्तन आ रहे हैं। वे पूर्व के समान परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं जकड़ी हुई हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सक्रियता से भाग ले रही हैं। उन में आत्म निर्भरता, स्वतंत्रता तथा राजनीतिक चेतना का पर्याप्त विकास हो रहा है। सरकार द्वारा बनाये हुये अनेक कानूनों ने उनकी स्थिति को और सुदृढ़ बना दिया। अब वे पूर्णतया पुरूषों पर निर्भर नहीं है। महिलाओं के उद्धार में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकारों एवं महिला संगठनों द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर करने के लिये, उनकी रक्षा के लिये, उनके अधिकारों के लिये सराहनीय कार्य किये गये हैं जिसके फलस्वरूप महिलाएं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर कार्य करने लगी हैं। महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता के लिये सागर जिले के 60 प्रतिशत महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन सागर जिले में नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं का अध्ययन दैव निर्दशन विधि से चयन किया गया। अध्ययन के लिये कुल 60 महिलाओं का चयन किया गया जिसमें 30 शहरी क्षेत्र से एवं 30 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें शासकीय/अशासकीय उद्योग व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से आर्थिक स्वतंत्रता तथा उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई।

तालिका क्रमांक – 1
सर्वेक्षित महिलाओं में शैक्षणिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण

शिक्षा का स्तर	शहरी	ग्रामीण	कुल	कुल का प्रतिशत
अशिक्षित	–	–	–	–
प्राथमिक	2	6	8	13.33
मिडिल	7	9	16	26.66
हायर सेकेण्डरी	4	7	11	18.33
स्नातक	9	5	14	23.33
स्नातकोत्तर	8	3	11	18.33
कुल	30	30	60	100

स्त्रोत : व्यक्तिगत तथ्यों का संकलन।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–1 में सर्वेक्षित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शैक्षणिक स्तर पर वर्गीकृत किया गया है जिसमें 13.33 प्रतिशत प्राथमिक, 26.66 प्रतिशत मिडिल 18.33 प्रतिशत हायर सकेण्डरी 23. 33 प्रतिशत स्नातक एवं 18.33 प्रतिशत स्नातकोत्तर स्तर की महिलाएं हैं।

तालिका क्रमांक – 2
सर्वेक्षित महिलाओं को व्यवसाय/नौकरी के आधार पर वर्गीकृत

व्यवसाय/नौकरी	शहरी	ग्रामीण	कुल	प्रतिशत
प्रशासनिक अफसर	2	3	5	8.33
शिक्षिका	8	10	18	30.00
क्लर्क	5	4	9	15.00
चपरासी	2	3	5	8.33
घरेलू कामकाजी/महिला	5	4	9	15.00
स्वयं की दुकान/व्यवसाय	8	6	14	23.33
कुल	30	30	60	100

उपरोक्त तालिका क्रमांक–2 में सर्वेक्षित महिलाओं को व्यवसाय/नौकरी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिसमें 8.33 प्रतिशत प्रशासनिक ऑफीसर 30 प्रतिशत शिक्षिका क्लर्क 8.33 चपरासी, 15 प्रतिशत घरेलू कामकाजी महिला तथा 23.33 प्रतिशत स्वयं की दुकान/व्यवसाय में कार्यरत हैं।

तालिका क्रमांक – 3
सर्वेक्षित महिलाओं में नौकरी/व्यवसाय में जाने की स्वतंत्रता

उत्तरदाता	ग्रामीण	शहरी	कुल	प्रतिशत
हां	13	19	32	53.33
नहीं	17	11	28	46.66
कुल	30	30	60	100

स्त्रोत : व्यक्तिगत तथ्यों का संकलन।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–3 में महिलाओं से पूछा गया कि आपको नौकरी/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। जिसमें 53.33 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर हां तथा 46.66 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर नहीं था। लेकिन मजदूरी या घर में लड–झगड़ कर नौकरी कर रही हैं।

तालिका कमांक – 4
सर्वेक्षित महिलाओं में नौकरी/व्यवसाय में जाने से रोकने वाले का संबंध

संबंध	ग्रामीण	शहरी	कुल	प्रतिशत
पिता	3	2	5	17.86
माता	1	1	2	7.14
भाई	2	2	4	14.28
पति	6	3	9	32.14
ससुर	2	2	4	14.28
सास	3	1	4	14.28
कुल	17	11	28	100

स्त्रोत : व्यक्तिगत तथ्यों का संकलन

उपरोक्त तालिका कमांक–4 में महिलाओं में नौकरी/व्यवसाय करने पर परिवार के सदस्यों का संबंध को दर्शाया गया है। जिसमें 17.86 प्रतिशत पिता 7.14 प्रतिशत माता, 14.28 प्रतिशत भाई, 32.14 प्रतिशत पति, 14.28 प्रतिशत ससुर एवं 14.28 प्रतिशत सास द्वारा स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जिसमें सर्वाधिक पति का 32. 14 प्रतिशत है।

तालिका कमांक – 5
सर्वेक्षित महिलाओं में खर्च करने तथा आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता

उत्तरदाता	ग्रामीण	शहरी	कुल	प्रतिशत
हां	11	16	27	45.00
नहीं	19	14	33	55.00
कुल	30	30	60	100

स्त्रोत : व्यक्तिगत तथ्यों का संकलन

तालिका क्रमांक–5 में महिलाओं से खर्च करने तथा आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया। जिसमें 45 प्रतिशत का उत्तर हां तथा 55 प्रतिशत का उत्तर नहीं में था।

उपरोक्त सागर जिले में सर्वेक्षित 60 महिलाओं से आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित कई तथ्य सामने आये हैं जो वर्तमान में महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता तथा नौकरी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता तथा उनकी समस्याओं से संबंधित निम्न तथ्य हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वर्ग की महिलाओं को घर से बाहर निकलकर किसी प्रकार का कोई श्रम या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जबकि वहीं निम्नवर्ग, गरीब वर्ग की महिलाओं को श्रम व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन उन्हें आर्थिक निर्णय लेने (खर्च करने) क लिये अपने परिवार वालों से सहमति लेनी पढ़ती है।
2. शहरी क्षेत्रों में उच्च वर्ग की महिलाओं एवं शिक्षित वर्ग की महिलाओं में नौकरी करने व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। तथा वे अपने पारिवारिक दायित्वों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।
3. जिन महिलाओं को नौकरी/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है लेकिन व अपनी इच्छा अनुसार उन पैसों को व्यय नहीं कर सकती है। यदि उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक निर्णय लेना है तो उन्हें परिवार में सहमति लेना पड़ती है।
4. सर्वेक्षित महिलाओं का कहना था कि उन्हें अपना पूरा वेतन अपने पति को देना पड़ता है यदि उन्हें खर्च चाहिये तो वे अपने पति से मांगती है।
5. जिन महिलाओं को घर से नौकरी करने की अनुमति नहीं है ऐसी महिलायें अपनी जबरदस्ती के कारण अपने पति एवं परिवार से अलग रह कर नौकरी कर रही है।
6. सर्वेक्षित महिलाओं का कहना था कि उनके पति और परिवार वाले नौकरी छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं लेकिन शासकीय नौकरी होने के कारण उन्होंने नहीं छोड़ी।
7. सर्वेक्षित महिलाओं का कहना था कि वे केवल अपने घर में ही अपना व्यवसाय कर सकती हैं उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
8. सर्वेक्षित महिलाओं का यह भी कहना था कि उनके पति नौकरी नहीं करते हैं इसलिए वे उन्हें भी नौकरी करने से मना करते हैं क्योंकि वे इसमें अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं।
9. जिन महिलाओं के पति नौकरी पर नहीं है वे उन महिलाओं को नौकरी करने की अनुमति नहीं देते क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा स्वाभिमान की बात करते हैं।
10. महिलाओं का कहना था कि उनके पति उनको अपने से बड़े पद पर कार्य करते देखना पसंद नहीं करते।
11. संयुक्त परिवार में जब तक रहते थे तो नौकरी/व्यवसाय की अनुमति नहीं थी लेकिन जब वे अपने पति के साथ अलग रह रही हैं तो वे नौकरी करने के लिय स्वतंत्र हैं।

नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं की समस्याएं

1. घर निार्धारित समय पर पहुंचना पड़ता है यदि किसी कारण आफिस में या कार्य स्थल पर विलंब हो जाती है तो उन्हें घर में जबाव देना पड़ता तथा पति की डांट सहनी पड़ती है।
2. यदि किसी साथ में रहने वालों के साथ आने जाने में, उसके साथ बात–चीत करने में अथवा कोई काम पड़ने पर घर में संपर्क करने से शक की दृष्टि से देखा जाता है।
3. आफिस/कार्यस्थल से घर जाने–जाने में चोरी छुपे निगरानी रखते हैं। जिससे यदि कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता है उससे बात करने पर घर म झगड़े होते हैं।
4. सर्वेक्षित कुछ महिलाओं का यह भी कहना था कि उनके पति उनको नौकरी के लिये साथ लेकर जाते

हैं तथा साथ लेकर आते हैं जब तक वह नौकरी करती हैं तब तक वह वहाँ रूके रहते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता।

5. सर्वेक्षित महिलाओं का कहना था कि उन्ह नौकरी करने के लिये पति/परिवार वालों के अनुसार चलना पड़ता है। नौकरी/व्यवसाय वे पति के अनुसार चयन करती हैं। अपने अनुसार नौकरी का चयन नहीं कर सकती हैं।
6. आज जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वह किसी भी प्रकार की नौकरी/व्यवसाय कर रही हैं लेकिन वह मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। उन्हें मानसिक तनाव बना रहता है।
7. आफिस/कार्यस्थल में अचानक निर्णय लेने की बात आ जाती है अथवा कभी कोई सार्वजनिक कार्य, पिकनिक पार्टी संबंधित कार्य आदि में भी उन्हें परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है।
8. सामाजिक रूप से भी आज वह स्वतंत्र नहीं है वह घर आते समय या घर से जाते समय भी कोई अजनबी के साथ आने जाने में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यदि उन्हें किसी के साथ समाज और मुहल्ले वाले देखें तो कई तरह के शक एवं तरह–तरह की बातें सामने आती हैं।
9. कहीं एकांत स्थल पर भी वह काम करने से डरती हैं क्योंकि उन्हें वहां भी कई तरह के खतरे सामने आते हैं कि कहीं इज्जत पर कीचड़ न उछाल दे कोई।
10. कई बार उन्हें आफिस/कार्यस्थल पर सहकर्मी से भी खतरा बना रहता है क्योंकि एक महिला होने के कारण तरह–तरह के प्रलोभन देते हैं और उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे होते हुये भी आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, आज भी महिलाएं गुलामी की जिंदगी जी रही ह। उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। जबकि उनके साक्षरता के प्रतिशत में कुछ सुधार हुआ। सर्वेक्षण के अनुसार 53.33 प्रतिशत को नौकरी/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है तथा 46.66 प्रतिशत को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। उनकी स्वतंत्रता में प्रतिबंध का सर्वाधिक प्रतिशत उनके पति एवं उनके ससुराल पक्ष का है। जिसम ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत ज्यादा है एवं शहरी क्षेत्र में कम आर्थिक निर्णय लेने के क्षेत्र में 45 प्रतिशत महिलाएं ही हैं जो घर में किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय ले सकती हैं। तथा 55 प्रतिशत को आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है उनको कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक पारिवारिक एवं प्रताड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार ने महिलाओं का स्तर उठाने के लिये उन्हें संरक्षण देने के लिये अनेक तरह का प्रयास किया है तथा उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से आरक्षण एवं कानून जैसी व्यवस्था भी की गई तथा उन्हें जागरूक करने के लिये तरह–तरह के प्रचार–प्रसार, महिला समितियों का गठन महिला मण्डलों की स्थापना, महिला जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आदि करने के बाद भी आज महिलाओं की स्थिति समाज में संतोषजनक नहीं है।

आज पाकिस्तान की एक शायरा सारा शगुफ्ता जलते हुए अक्षरों में जो वक्त की दास्तान लिख रही है, उससे इंसान का इतिहास शर्मिन्दा है मगर इंसानियत के इतिहास को उस पर नाज है लिखती है :–

मेरा कफन जहरीले धागों से सिया जा रहा है .....
हर आलोचक, गैर आलोचक मेरे बदन में झाँकना चाहता है
मैं किस–किस परचम के बन्द खोलूं
क्या औरत का बदन से ज्यादा कोई वतन नहीं होता?
यह कैसा घर है?
कि औरत और इजाजत में कोई फर्क नहीं?
मैं कभी दीवारों में चिनी गई,
कभी बिस्तर में चिनी जाती हूँ .....

औरत जब अपनी पहचान अपने माध्यम से नहीं पा सकी, तो वो मर्द के माध्यम से पाने लगी और यहीं से मानसिक गुलामी की दास्तान शुरू हुई। इसी से औरत और औरत का रिश्ता एक रकाबत का रिश्ता बन गया और उसकी ताकत ईर्ष्या, जलन और हसद जैसी खामियों में जाया होने लगी।[1]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नारी की स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की दशा सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण के लिये अनेक सराहनीय प्रयास किये गये हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इनके तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। आयोग द्वारा महिलाओं की दशा सुधार हेतु व्यापक मसविदा तैयार कर महासभा के सदस्य राष्ट्रों के जनसमर्थन के पश्चात इसकी घोषणा की गई। महिला वर्ष, महिला दशक बालिका वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष तथा महिलाओं की स्थिति पर चार विश्व सम्मेलनों का आयोजन एवं अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय बैठकों सभाओं तथा मानव अधिकार प्रपत्रों का प्रतिपादन किया गया। भारत ने भी नारियों को समान अधिकार दिलाने संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, घोषणाओं एवं मानव अधिकार प्रपत्रों का अनुसरण किया है।[2]

पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि

स्व–प्रतिबिम्ब को उभारते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह आज की नारी के लिये एक चुनौती है किन्तु इसे सहर्ष स्वीकारते हुये घर की चार दीवारी के भीतर अपने दायित्वों का निर्वाह कर परम्परावादी नारी के रूप में अपने स्व को अर्थ दे रही है। तो घर के बाहर निकल कर राष्ट्र व मानवता के वृहत दायरे में भागीदारीका निर्वाह कर अपनी सशक्तता का बोध करा रही है साथ ही यह भी कह रही है।

''लांघ दे दीवारें दुनियां की, छोड़ बंधन ये परतंत्रता का,
बढ़ आगे डर मत नारी, ढूढ़ रास्ता अपनी प्रगति का।''

महिला सशक्तिकरण में बढ़ोत्तरी :

प्राचीन धर्मशास्त्रों में दास व सम्पत्ति के रूप में वर्णित नारी आज अधिकार विहीन नहीं अपितु अधिकार सम्पन्न है। इसीलिए आज कवि यह पंक्ति कहते हैं :–

''सबला जीवन हाय तुम्हारी यह नादानी,
खुली पीठ है, आंखों में पश्चिम का पानी।''

आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता :

आजादी के बाद स्त्रियों में शिक्षा के सुधार के साथ–साथ आत्म निर्भरता की भावना भी आती जा रही है। अब वे पहले के समान पूर्णतया पुरूषों पर आश्रित नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में स्वयं जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा सरकारी सेवाओं में उनकी संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में आत्म निर्भरता ने स्त्रियों के विचारों को भी पर्याप्त स्वतंत्र कर दिया है।अनेक स्त्रियाँ संगठित रूप से अपने–अपने उद्यम चला रही हैं। अनेक स्त्रियाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी जुड़ी हैं जिससे महिलायें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान हमेशा से देती रही हैं। कुछ समय पूर्व तक वे घर के कार्यों में हाथ बटाने के साथ–साथ कुटीर उद्योगों व खेती–बाड़ी व पैतृक व्यवसाय में अपना आर्थिक योगदान देती थीं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कृषि, पशु व्यवसाय, हैण्डलूम आदि में काफी अनुपात में भागीदारी निभा रही हैं तो वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं सुविधाओं व क्षेत्रों के विकास व बढोत्तरी के कारण अन्य क्षेत्रों जैसे – इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, प्रशासनिक, विधि, उपभोक्ता, उपदान तथा संगठित क्षेत्रों में उद्योग में भी अपनी हिस्सेदारी निभा रही है।[3] आधुनिक युग में स्त्रियों को सभी आर्थिक क्षेत्रों में स्वतंता प्राप्त हो गई है। सरकारी नौकरियों पर इनके लिये किसी प्रकार की रोक नहीं है। आज सभी क्षत्रों में स्त्रियाँ देखी जा सकती हैं। सिविल सेवाओं में भी इन्होंने उच्च स्थान प्राप्त कर लिये हैं। स्त्रियों को सम्पत्ति संबंधी सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। संवैधानिक आधार पर सब स्त्रियों को पिता तथा पति की सम्पत्ति में भी अधिकार प्राप्त हो गया है।

रोजगार के क्षेत्र में स्वतंत्रता :

महिलाओं की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में 60.80 प्रतिशत तक का योगदान रहता है। अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं के अनुमानित श्रम की नकद वार्षिक कीमत लगभग 4 ट्रिलियन डालर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पादन का एक तिहाई भाग है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या का 13.99 प्रतिशत भाग आर्थिक क्रियाओं में वर्षभर संलग्न रह पाता है। 50.77 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक क्रियाओं में बिल्कुल भाग नहीं लेती। अर्थात् कुल श्रम शकित का 20.22 प्रतिशत भाग कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाएं हैं। वष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 3 लाख स्नातक, 500 कृषि स्नातक, 82000 विज्ञान स्नातक, 3700 इंजीनियर तथा 16000 के लगभग डॉक्टर महिलायें हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काम के घण्टे, वेतन, अवकाश, आदि के संबंध में सुधार होने से शिक्षा के कारण अन्य वर्ग की महिलाओं में नौकरी के प्रति रूचि बढ़ी है। आज शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा, समाज कल्याण, उद्योग और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्म विश्वास कार्यक्षमता व मानसिक स्तर में प्रगति हुई है। इस आधार पर नारियां पुरूषों के समान समाज में स्थान प्राप्त कर सकेगी। साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता उनको अनेक बंधनों तथा दूषित परिणामों से बचा सकेगीं और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत होगी। स्त्रियाँ फिर अन्यायों तथा अत्याचारों को सहन नहीं करेगी।

आज वैश्वीकरण ने आधुनिक युवा महिलाओं को ग्लोबल सिटीजन बना दिया है जो आत्मनिर्भर स्वनिर्मित आत्मविश्वासी हैं जिसने पुरूष प्रधान चुनौती पूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल नर्स, शिक्षक, स्त्री रोगों की डॉक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता, क्षमता के बल पर झंडे गाड़ रही हैं। देश के विकास में उनकी भागीदारी ने उन्हें अबला, कमजोर से सबला और समर्थ सिद्ध कर दिया है।[4]

सर्वेक्षण से यह तथ्य भी सामने आया है कि उम्र बढ़ने के साथ–साथ उन्हें फैसले लेने की छूट मिलती जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी महिलाओं को यह छूट ज्यादा मिलती है। एसोचैम व इको पल्स के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1988 से वर्ष 2004 के मध्य महिलाओं को मिलने वाले रोजगार में 3.35 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं पुरुषों को इस मामले में 8 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा है। निर्जी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वर्ष 1998 में 2.34 करोड़ थी जो वर्ष 2004 में घटकर 2.15 करोड़ हो गई है।[5]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महिला वैश्विक रोजगार रिपोर्ट के अनुसार समान काम के लिये अभी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन कम मिलता है। विश्व के कुल 2.9 अरब लोगों मे महिलाओं की संख्या पहले से अधिक है। बड़ी संख्या में महिलायें कम वेतन वाले कार्यों में लगी हुई है। जैसे खेती, महिलाओं की कार्य क्षमता संबंधो निम्न आंकड़े आश्चर्यचकित कर देने वालें है। कुल आबादी में आधी होते हुये भी 70 प्रतिशत महिलायें खेती के कार्य में संलग्न, विश्व के कार्य 60 प्रतिशत कार्य महिलाय संपन्न करती ह। किंन्तु केवल 1 प्रतिशत विश्व भूमि पर महिलाओं को स्वामित्व प्राप्त है और विश्वव्यापी आय में केवल 10 प्रतिशत की भागीदारी है। विश्व के 10 खरब गरीबों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं तथापि आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा सुधार महिलाओं की स्थिति में नहीं हुआ है। वस्तुतः किसी भी देश का विकास लगभग सभी क्षेत्रों में एवं नागरिकों का कल्याण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। जिन्होंने आधा आसमान सिर पर उठा रखा है, उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है और सामाजिक, राजनीतिक निर्णय, निर्णय प्रक्रिया में कितनी सहभागिता है। महिलाओं की स्थिति विकास का एक प्रकार का संकेतक भी है। वर्ल्ड इकानोमिक फोरम की रैकिंग के अनुसार महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का स्थान 15 नंबर पर है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भारत इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक

आयाग (एशिया प्रशांत के लिये) के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2007 के अनुसार यदि भारत में महिलाओं की भागीदारी अमेरिका के बराबर हो जाये तो देश का सकल घरेलू उत्पाद 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा और वृद्धि दर 1.08 प्रतिशत बढ़ जायेगी जिससे अर्थव्यवस्था को 19 अरब डालर का लाभ होगा। महिलाओं के लिये रोजगार के अवसरों की सुलभता सीमित होने के कारण इस क्षेत्र को प्रति वर्ष 42 से 47 अरब डालर का घाटा उठाना पड़ रहा है।शिक्षा में लड़के–लड़की के बीच अंतर के कारण 16 से 18 अरब डालर का आर्थिक नुकसान हो रहा है और यदि यह अंतर कम नहीं किया गया तो प्रति वर्ष 30 अरब डालर की अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी।[6] ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांवों के आर्थिक विकास में केवल पिछड़े वर्गों और दलित महिलाओं की ही भागीदारी होती है। जबकि सामंती परम्परागत संस्कारों में जकड़े होने के कारण आज उच्च वर्ग की महिलाएं घर के बाहर किसी प्रकार का कोई श्रम या व्यवसाय करने नहीं निकलती हैं। यह स्थिति शहरों की स्थिति से भिन्न हैं जहां उच्च तथा मध्यम वर्ग की महिलाएं नौकरी या व्यवसाय में पुरूषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं, जबकि पिछड़े और दलित वर्ग की महिलायें कम या अशिक्षित होने के कारण रोजगार की प्रतियोगिता से बाहर रह जाती हैं।[7]

अतः इससे सिद्ध होता है कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी रखती हैं। किन्तु वो पूर्ण रूप से किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं है। जिसके लिये सरकार अनेक प्रयास कर रही है उनके शैक्षणिक, स्तर में सुधार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिये अनेक कार्यक्रमों का कियान्वयन भी कर रही हैं ताकि महिलायें आज पुरूष के साथ बराबरी से कंधा से कंधा मिला कर चल सकें और समाज में अपनी अलग पहचान बनाकर बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें।

स्त्रोत :

1. प्रीतम अमृता : अक्षरों की अजमत, हिन्दी पॉकेट बुक प्राइवेट लिमिटेड, जे–40 जोरबाग, लेन नई दिल्ली 2006, पृ.क्र. 59
2. वरे एस.एल.: भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन, भापाल संस्करण 2007, पृ.क्र. 1984
3. शर्मा प्रज्ञा : भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राज.) 2007, पृ.क्र. 48
4. वरे. एस.एल. : भारतीय इतिहास में नारी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल संस्करण, 2007, पृ.क्र. 104
5. कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2005, पृ.क्र. 23
6. वर्मा अम्बिका प्रसाद : छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार, महामाया प्रिन्टर्स, 2005 पृ.क्र. 279
7. वर्मा अम्बिका प्रसाद : छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार, महामाया प्रिन्टर्स, 2005 पृ.क्र. 237